



पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-2

23 फरवरी, 1933 (अ०)

मंगलवार, तिथि

13 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—03

(1) शिक्षा विभाग	02
(2) परिवहन विभाग	01
			कुल योग	03

प्राथमिकी दर्ज करना

36. श्री श्रवण कुमार—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, हुमरिया, गया के पत्रांक 283, दिनांक 4 नवम्बर 2011 द्वारा श्रीमती गुलशन आरा को गया जिलान्तर्गत हुमरिया प्रखण्ड के कन्या मध्य विद्यालय, रामपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया है परन्तु उक्त आदेश का उल्लंघन कर आजतक उन्हें वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रभार नहीं दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती मोहजबीं प्रवीण द्वारा विद्यालय कोष की राशि का गबन किया गया है जिसके लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक 132, दिनांक 12 जनवरी, 2012 द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, हुमरिया को उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है परन्तु आजतक प्राथमिक दर्ज नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती मोहजबीं प्रवीण को प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद से हटाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आदेश का कार्यान्वयन

37. श्री श्रवण कुमार—क्या मंत्री, शिक्षा (प्र०शि०) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, गया द्वारा ज्ञापक 808, दिनांक 24 जुलाई, 2010 के माध्यम से ग्राम पंचायत नारायणपुर, प्रखण्ड हुमरिया, गया में शिक्षकों के पद पर गलत नियोजन करनेवाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने तथा अगर किसी भी अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ तो उसको वसूली गलत नियोजन करनेवाले सभी व्यक्तियों से समानुपातिक रूप से कराने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, गया को निर्देशित किया गया था परन्तु आजतक उक्त आदेश का पालन जिला शिक्षा अधीक्षक, गया द्वारा नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त दोनों आदेशों का कार्यान्वयन कबतक कराने का विचार रखती है ?

स्थापित करना

38. श्री अचनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बटवारा वर्ष 2000 में होने के बाद से अभी तक राज्य में हेवी वेहिकल ड्राईविंग स्कूल नहीं रहने के कारण राज्य के वाहन चालकों को दूसरे राज्यों से हेवी वेहिकल का ड्राईविंग लाइसेंस लाना पड़ता है, यदि हाँ, तो राज्य में हेवी वेहिकल ड्राईविंग स्कूल अभीतक स्थापित नहीं किये जाने का क्या औचित्य क्या है ?

पटना:
दिनांक 13 मार्च, 2012 (ई०)।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।